सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 25.08.2024

मात्र 12 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा एवं 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.08.2024 को वादी आकाश पुत्र जयराम सिंह यादव निवासी ग्राम इकघरा थाना ऊसराहार जनपद इटावा द्वारा थाना ऊसराहार पर सूचना दी गयी कि उसके पिता जयराम सिंह उम्र करीब 52 वर्ष को सुभाष पुत्र तकत सिंह व बृजेश द्वारा पैसा लेने के लिये इकघरा व कछपुरा के बीच रास्ते पर बुलाकर उनकी हत्या कर दी। **सूचना पर तत्काल थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 95/2024 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत** किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 24/25.08.2024 की रात्रि को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना ऊसराहार पुलिस द्वारा थाना ऊसराहार क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम इकघरा में हत्या करने वाले अभियुक्त खरगपुर ग्राम की ओर जा रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना ऊसराहार पुलिस **द्वारा 02 अभियुक्तों को ग्राम खरगपुर जाने वाले रास्ते के पास से समय करीब 03.26 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछ-

पकड़े गये अभियुक्तों का नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो अभियुक्त सुभाष के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा व 01 खोखा एवं 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मेरा जयराम के साथ जमीनी विवाद चल रहा था जिस कारण मैंने अपने साथी बृजेश के साथ मिलकर योजनावद्ध तरीके से जयराम को बुलाया था और वहीं उसकी हत्या कर दी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ऊसराहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2024 धारा 103(1) बीएनएस में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुभाष पुत्र तकत सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी **उम्र 40 वर्ष।**
2. बृजेश पुत्र उदयपाल निवासी ग्राम बरूआ थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी **उम्र 36 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 95/2024 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमन्चा 315 बोर **(आलाकत्ल)**
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम-

प्रथम टीम- निरी0 श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वतीय टीम- उ0नि0 श्री मंसूर अहमद थानाध्यक्ष ऊसराहार, उ0नि0 जगराम सिंह, हे0का0 बबलू अली, हे0का0 रंजीत सिंह, का0 चालक अजीत कुमार।